प्रमुख आन्दोलन एवं पर्यावरण संरक्षण

चिपको आन्दोलन एवं पर्यावरण संरक्षण

यह वन संरक्षण का अभिनव जन–आन्दोलन है जिसका जन्म उत्तराखण्ड में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से हुआ। इस आन्दोलन का आरम्भ चमोली जिले के मण्डल गाँव में 27 मार्च 1973 को हुआ, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद की एक खेलकूद कम्पनी को अंगू के पेड़ों को काटने से रोका। अंगू नामक वृक्ष इस क्षेत्र के ग्रामवासिओं के जीवन का आधार रहा है। ग्रामवासियों के क्रोध का कारण यह था कि वन विभाग ने कुछ समय पूर्व यहाँ के लोगों के लिए इस वृक्ष के काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। कारण बताया कि पारिस्थितिक सन्तुलन के लिए इन वृक्षों को बचाना आवश्यक है। यह वृक्ष बैलों को जुआ बनाने के उपयोग में आता है। यहाँ के निवासियों ने प्रतिरोध के स्वर में कहना प्रारम्भ किया कि, 'जिन पेड़ों को हमने पाला–पोसा, उनका उपयोग हम अपने जिन्दा रहने के लिए तो नहीं कर सकते, परन्तु यहाँ से बहुत दूर आमोद–प्रमोद के साधनों के निर्माण के लिए ठेकेदार को बेचा जा सकता है। यह न्यायसंगत नहीं है !' उन्होंने सरकार के निर्णय को यह कहकर चुनौती दी कि 'यदि पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वाले आये तो हम चिपक कर उनकी रक्षा करेंगे।'

इस आन्दोलन को बल प्रदान किया इस क्षेत्र में बढ़ने वाले भूक्षरण तथा भूस्खलन ने। वृक्षों के काटने से जलस्रोत सूखने लगे तथा जीवन–निर्वाह के साधन समाप्त होने लगे। सन् 1970 में गंगा की एक धारा अलकनन्दा में बाढ़ आने पर जन–धन की अपार हानि हुई। अनेक गांव धंसने लगे और भूस्खलन के कारण अनेक लोग दबकर मर गये। इससे चिपको आन्दोलन को एक नयी दृष्टि मिली। उत्तराखण्ड के निवासियों ने इस तथ्य को समझा कि भूसंरक्षण तथा भूस्खलन को रोकने में वनों का महत्त्व अधिक है। इसी प्रेरणा से

प्रेरित होकर 1974 में रेणी ग्राम की महिलाओं ने ठेकेदार के पेड़ काटने वाले श्रमिकों को यह कहकर जंगल से खदेड़ दिया कि 'यह जंगल हमारा मायका है इसे कटने नहीं देंगे।'

पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों को सुरक्षित रखने का महत्त्व यहाँ के वनवासियों को समझ में आया। चिपको आन्दोलन के लिए एक स्थानीय आर्थिक आन्दोलन से पर्यावरण की रक्षा के आन्दोलन की ओर बढने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगस्त 1974 में उत्तराखण्ड सर्वोदय परिवार ने नदियों के उद्गम स्थल पर हरे वृक्षों की कटाई रोकने की माँग की। चिपको आन्दोलनकर्ताओं ने सितम्बर–अक्टूबर में चीड़ के वृक्ष काटने के विरोध में धरना तथा उपवास द्वारा आन्दोलन प्रारम्भ किया। उत्तराखण्ड के लोगों की वन रक्षा सम्बन्धी मांग का समर्थन लोकनायक जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर तथा आचार्य धर्माधिकारी ने भी किया। यहाँ की महिलाओं ने यह नारा लगाया–

क्या है जंगल के उपकार ?
मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार,
जिन्दा रहने के आधार।।

चिपको आन्दोलन में महिलाओं का योगदान सबसे अधिक रहा है। इसका कारण महिलाओं की संवेदना रही। जीविका के साधन नष्ट होने से यहाँ के पुरुष बाहर पलायन कर गये। परिणामस्वरूप गृहस्थी का सारा भार महिलाओं पर आ पड़ा। इन कार्यों का वनों से सीधा सम्बन्ध है। वनों का व्यापारिक दोहन नीति के कारण समस्त वन विलुप्त होने के परिणामस्वरूप महिलाओं का जीवन कष्टमय हो गया। उनको सधवा होते हुए वैध्वय का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। महिलाओं की समझ में आया कि इसका एकमात्र उपाय रहे–सहे वृक्षों की रक्षा करना है। इसी कारण जंगल में फरवरी, 1978 में आदिवासी महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर ठेकेदार तथा पुलिस को वापिस जाने के लिए बाध्य कर दिया।

इस प्रकार छः वर्ष बाद चिपको आन्दोलन स्थायी अर्थव्यवस्था का सशक्त आन्दोलन बन गया। इस आन्दोलन ने पेड़ों की कटाई 10 से 25 वर्ष तक बन्द करने की मांग की ताकि हिमालय का 60 प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढक जाये। ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाय। चिपको आन्दोलन हिमालय के लोगों की समस्या का समाधान ही नहीं, सारी मानव जाति की समस्याओं के वैज्ञानिक विचार की स्वीकृति और उनके लिए क्रियाशील होना है। चिपको आन्दोलन को मूर्त रूप देने वाले चण्डीप्रसाद भट्ट तथा सुन्दरलाल बहुगुणा के नाम उल्लेखनीय है।

अप्पिको आंदोलन एवं पर्यावरण संरक्षण

उत्तर का चिपको आन्दोलन, दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुआ। चिपको की प्रेरणा से दक्षिण में 'अप्पिको' आन्दोलन के रूप में उभर कर सामने आया। अप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जो कन्नड़ में चिपको का पर्याय है। पर्यावरण सम्बनधी जागरूकता के इस आन्दोलन का उदय अगस्त 1983 में हुआ। इस प्रकार चिपको और अप्पिको में 10 वर्ष का अन्तर रहा। यह अप्पिको आन्दोलन बड़ेथी हाइडल प्रोजेक्ट के विरोध में उत्तर कन्नड़ के लोगों द्वारा प्रारम्भ किया गया। यह आन्दोलन पूरे जोश से लगातार एक महीने और आठ दिन तक चलता रहा। युवा लोगों इस आन्दोलन में सम्मिलित होने पर यह एक जन–आन्दोलन के रूप में उभरकर सामने आया। इस क्षेत्र में कागज उद्योग हेतु कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वनों का विनाश हो रहा था। कागज पर दो वृक्ष काटने का विवरण होता था जबकि वास्तव में अधिक वृक्ष कटने से वनों का विनाश जनता के समक्ष प्रकट होने लगा। इस आन्दोलन के अन्तर्गत गांव वालों ने जल विद्युत परियोजनाओं को पूरी तरह बदलने की मांग की। आन्दोलन के समय लोग वनों के निकट सम्पर्क में आये तथा उनको वनों के अनेक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने लगे। उनको ज्ञान हुआ कि वृक्षों के कटने से भूस्खलन होता है, भूक्षरण में वृद्धि होती है तथा वृक्षविहीन क्षेत्र में भूपिटोरियम नामक खरपतवार उगने लगती है। इस दृश्य को देखकर ग्रामवासियों ने हरे वृक्षों के काटे जाने पर पूरी तरह पाबन्दी लगाये जाने की माँग रखी। यहाँ के वनों में भी वृक्ष काटने वालों को रोकने के लिए लोगों ने वृक्षों को आलिंगनबद्ध करने का तरीका अपनाया।

अहिंसा के इस आन्दोलन ने अन्य स्थानों के लोगों को भी आकर्षित किया। अब यह आन्दोलन सात से भी अधिक स्थानों पर फैल चुका है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर कन्नड़ का वन क्षेत्र 80.7 प्रतिशत है लेकिन वास्तव में वन क्षेत्र 26 प्रतिशत है। दूसरी समस्या वनों को एक ही जाति के वृक्षों में रूपान्तरित करने से सम्बन्धित है। इससे पारिस्थितिक तन्त्र को आघात पहुंच रहा है। उदाहरण के लिए खाद व चारे का अभाव हो गया है। मधुमक्खी यहाँ से पलायन कर रही है। इन समस्याओं के कारण ही वहां लोगों ने इस जन–आन्दोलन का सहारा लिया है।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन एवं पर्यावरण संरक्षण

नर्मदा नदी देश की पाँचवी बड़ी नदी है। इसकी कुल लम्बाई 1312 कि.मी है जिसमें से 1112 कि.मी. मध्यप्रदेश तथा 200 कि.मी. गुजरात राज्य में

बहती है। नर्मदा कछार का 88.2 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश तथा 11.8 प्रतिशत भाग गुजरात राज्य के अन्तर्गत आता है। नर्मदा नदी के जल का उपयोग राज्य के विकास की दृष्टि से करने के उद्देश्य से नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण हुआ। इस परियोजना में मध्यप्रदेश की कुल 29 वृहद, 135 मध्यम तथा 300 लघु सिंचाई योजनाएँ प्रस्तावित हैं। नर्मदा नदी पर एक परियोजना गुजरात राज्य में क्रियान्वित की जा रही है जिसका नाम सरदार सरोवर बाँध है। मध्यप्रदेश में 29 वृहत परियोजनाओं में से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 6 वृहद परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है। सरदार सरोवर परियोजना पर कार्य जारी है।

इसकी समग्र विकास परियाजनाओं से प्रदेश के 14.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता तथा 2083 मेगावाट विद्युत क्षमता निर्मित होगी। कृषि उत्पादन में 185 लाख टन की वृद्धि सम्भव होगी। साथ ही लगभग 8 लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण से अनेक विवाद यहाँ उत्पन्न हो गये। इस बाँध की ऊंचाई, विस्थापितों की समस्या, वनोन्मूलन की समस्या आदि को लेकर यहाँ जन–आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। सन् 1985 में मेधा पाटेकर द्वारा 'नर्मदा बचाओ' आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। नर्मदा परियोजना से गुजरात के 4500 महाराष्ट्र के 1655 मध्यप्रदेश के 14994 परिवार विस्थापित होंगे। नर्मदा बचाओ आन्दोलन में सम्मेलन व सत्याग्रह का सहारा लिया गया। पर्यावरणविदों का कहना है कि सरदार सरोवर खर्चीला, अनुत्पादक, अलाभकारी और निरर्थक बांध है जिसको रोकना ही एक मात्र हल है। आन्दोलनकारियों के गुजरात में प्रवेश पर रोक के विरुद्ध 7 जनवरी 1991 को मेधा पाटेकर ने अनशन प्रारम्भ किया। 20 जून 1992 को चेतावनी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी वर्ष जनवरी में आजवाडा में पुलिस और आदिवासियों के बीच टकराव के बाद बाँध विरोधियों को पर्यावरणविदों, जन–संगठनों तथा नूतन साधनों की बदौलत प्रचार का अवसर मिला। बाँध के निर्माण के विरोध में विदेशी संगठनों सहित 200 संस्थाओं का विरोध जारी है। इस आन्दोलन के प्रमुख कारण आवश्यक तथ्यों पर ध्यान न देना, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने की समस्या तथा लोगों की पुनर्वास की उपेक्षा आदि है।

अतः आज आवश्यकता है लोगों के जाग्रत होने की ताकि वे आन्दोलनों के माध्यम से अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सके।

❑❑